संख्या:184/2026/1452/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 21 सितम्बर, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-72/2026/545/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद सीतापुर में कार्यों की स्वीकृति निर्गत की गयी है। आपके पत्र सं0-1047/ग्रा0अ0वि0/त्व0आ0वि0यो0/2026-27 दिनांक 11.09.2026 के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से 02 कार्यों को सी0सी0 रोड में परिवर्तित किये जाने हेतु सन्दर्भित प्रकरण के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से निम्नलिखित तालिका के 02 कार्यों की कालम-4 के अनुसार निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

| क्र0 | शासनादेश सं-72/2026/545/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 के अनुसार विवरण | | संशोधित नाम | लम्बाई (मी0) | पुनरीक्षित लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| | शासनादेश का क्र0 | स्वीकृत कार्य का नाम | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | मो0 दुर्गापुरवा पुल से नकवी हाउस होते हुए सिटी स्टेशन होते हुए तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। (लागत रू. 101.04 लाख) | मो0 दुर्गापुरवा पुल से नकवी हाउस तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। | 786 | 100.14 |
| 2 | 2 | मो0 तामसेनगंज डा0 आलोक जौहरी अस्पताल से रम्पा टाकिज होते हुए घंटाघर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। (लागत रू. 79.13 लाख) | मो0 तामसेनगंज डा0 आलोक जौहरी अस्पताल से रामेश्वर दयाल तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य। | 430 | 78.63 |

1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को अनुवर्ती किश्त के रूप में आंकलित/समायोजित किया जायेगा।
3. जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026, उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:184/2026/1452(1)/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/पंचायतीराज/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सीतापुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीतापुर।
15- गार्ड फाईल।

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।